

दिल्ली विधान सभा Delhi Legislative Assembly

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति Committee on Private Members Bills & Resolutions

> बारहवां प्रतिवेदन Twelfth Report

दिनांक 18 मार्च, 2008 **को प्रस्तुत Presented on 18th March, 2008**

दिल्ली विधान सभा सचिवालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली –110054 Delhi Legislative Assembly Secretariat, Old Secretariat, Delhi-110054

समिति का गठन Composition of the Committee

सदस्य

MEMBERS

1.	चौ.प्रेम सिंह, माननीय अध्यक्ष	सभापति
	Ch. Prem Singh, Hon`ble Speaker	Chairman
2.	श्री शोएव इकवाल, माननीय उपाध्यक्ष	सदस्य
	Shri Shoaib Iqbal, Hon'ble Deputy Speaker	Member
3.	श्री रमाकान्त गोरवामी	सदस्य
	Shri Ram Kant Goswami	Member
4.	श्री सुभाष चोपडा	सदस्य
	Shri Subhash Chopra	Member
5.	श्री नय कि रान	सदस्य
	Shri Jai Kishan	Member
6.	श्री जिले सिंह चौहान	सदस्य
	Shri Jile Singh Chauhan	Member
7.	श्रीमती मीरा भारद्वान	सदस्य
	Smt. Meera Bhardwaj	Member
8.	श्री रमेश विध्वदी	सदस्य
	Shri Ramesh Bidhuri	Member
9.	श्री ओ पी बब्बर	सदस्य
	Shri O.P. Babber	Member
	सचिवालय	

सचिवालय SECRETARIAT

1.	श्री सिद्धार्थ राव	सचिव
	Shri Siddharath Rao	Secretary
2.	श्री जी॰ एस॰ रावत	संयुक्त सचिव
	$Shri\ G.S.\ Rawat$	Joint Secretary
3.	श्री लाल मणी	उप सचिव
	Shri Lal Mani	Deputy Secretary

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति का बारहवां प्रतिवेदन

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति-की बारहवीं बैठक शुक्रवार, दिनांक 14 मार्च, 2008 को पूर्वाहन 11.00 बजे सम्पन्न हुई।

1. गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प:

समिति को सूचित किया गया कि इस सत्र में 28 मार्च,2008 एवं 04 अप्रैल,2008 के दिन पड़ने वाले शुक्रवारों को गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों के लिये निर्धारित किया गया है।

समिति को यह भी सूचित किया गया कि गैर सरकारी सदस्यों से कुल 36 संकल्पों की सूचनाएं प्राप्त हुई है।

समिति ने निर्णय लिया कि 13 मार्च, 2008 को गैर सरकारी सदस्यों के निम्नलिखित तीन संकल्पों को बैलेटिंग में स्थान प्राप्त हुआ जिन्हें गैर सरकारी सदस्यों के दिन शुक्रवार, 28 मार्च, 2008 को चर्चा के लिये लिया जायेगा:-

क्र.सं.	सदस्यों का नाम	संकल्प का विषय
1.	श्री विजय जौली	यह सदन संकल्प करता है कि दिल्ली में आम माफी योजना को लागू किया जाये तथा उसके अन्तर्गत राजधानी की तमाम वैध एवं अवैध कालोनियों, गांवों, लाल डोरा विस्तार आदि क्षेत्रों में चल रही सभी व्यावसायिक गतिविधियों को सीलिंग से स्थायी मुक्ति दी जाए।
2.	भीष्म शर्मा	यह सदन संकल्प करता है कि दिल्ली के कुल बजट में से यमुनापार के विकास हेतु बजट का आबंटन वहां की जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से किया जाये ताकि क्षेत्र का समग्र विकास हो सके।
3.	श्री ओ.पी.बब्बर	यह सदन संकल्प करता है कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता देने हेतु रोजगार कार्यालय में दो साल के पंजीकरण की शर्त को तुरन्त समाप्त किया जाये।

2. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक: सिमिति को सूचित किया गया कि अभी तक किसी गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

समिति ने श्री रमाकान्त गोस्वामी एवं उनकी अनुपस्थिति में श्री ओ.पी.बब्बर को सदन में समिति का

प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत किया।

दिल्ली 14 मार्च, 2008

सभापति

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति

Twelfth Report of Committee on Private Members bills and Resolutions

The Twelfth Meeting of Committee on Private Members Bills and Resolutions held on Friday 14th March, 2008 at 11.00 A.M.

The Assembly Secretary apprised the Committee that as per the provisional calendar of sittings, Friday, 28th March, 2008 & 04th April, 2008 have been allotted for private members business.

I Private Members Resolutions:

The Committee was apprised that the 36 Notices of Private Members Resolutions have been received to Assembly Secretariat till date.

The Committee was also apprised that the last date of receipt of notices of Private Member's Bills & Resolutions for Friday the 28th March 2008 is 13th March 2008 up to 3.00 P.M. and the last date of receipt of notices of Private Member's Bill & Resolutions for the Friday, 4th April 2008 is 20th March 2008 up to 3.00 P.M.

Balloting for Resolutions to be taken up on Friday, 28th March, 2008 were held on 13th March, 2008. The following Resolutions received priority:

SI No.	Name of the Member	Text of the resolution	
1.	Shri Vijay Jolly	This House resolves that absolute clemency be given to the people of Delhi for all commercial activities running in all the regularized and unauthorized colonies, villages and Lal Dora Extension, so that permanent relief from sealing can be provided to the people.	
2.	Shri Bheeshm Sharma	* *	
3.	Shri O.P. Babber	This House resolves that for receiving the financial assistance from Social Welfare Department of National Capital of Delhi, the condition of two years registration with employment exchange for disabled persons be removed.	

II Private Members Bills: The Committee was apprised that no fresh Notice of Private Members Bills have been received to this Secretariat till date.

The Committee authorized Shri Ramakant Goswami and in his absence Shri O.P.babber to present the report to the House on 18th March, 2008.

(Ch. Prem Singh

Delhi